

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

विभिन्न श्रम संहिताओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट नियमावलियों का सूत्रण किया गया है एवं इन्हीं संहिताओं के प्रावधानों के अपेक्षानुसार आम जनमानस की आपत्ति एवं सुझाव हेतु ड्राफ्ट नियमावलियों का बिहार राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।


विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में ड्राफ्ट नियमावलियों पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु पूर्व में निर्धारित 45 दिनों की अवधि को निम्नवत् विस्तारित किया जाता है।

क्र० सं०	ड्राफ्ट नियमावलियों का नाम	गजट संख्या एवं प्रकाशन की तिथि	आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित अवधि (गजट में प्रकाशन की तिथि से)	विस्तारित अवधि
1	ड्राफ्ट वेतन संहिता (बिहार) नियमावली, 2025	गजट संख्या-1753, दिनांक-05.12.2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक-15 फरवरी, 2026 तक
2	ड्राफ्ट औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2025	गजट संख्या-1754, दिनांक-05.12.2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक-15 फरवरी, 2026 तक
3	ड्राफ्ट सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2025	गजट संख्या-1762, दिनांक-10.12.2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक-15 फरवरी, 2026 तक
4	ड्राफ्ट बिहार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली, 2025	गजट संख्या-1794, दिनांक-19.12.2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक-15 फरवरी, 2026 तक

उक्त ड्राफ्ट नियमावलियों के संबंध में यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे श्रमायुक्त, बिहार को अथवा lcbihar@bihar.gov.in पर ईमेल से भेजा जा सकता है।

संचिका संख्या-1/COSS 10-01/2020, श्र०सं०- 15 पटना, दिनांक- 05/02/26


बिहार राज्यपाल के आदेश से


5.2.26
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

संचिका संख्या-1/COSS 10-01/2020, श्र०सं०- 15 पटना, दिनांक- 05/02/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


5.2.26
सरकार के संयुक्त सचिव


संचिका संख्या-1/COSS 10-01/2020, श्र०सं०- 15 पटना, दिनांक- 05/02/26

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार/महानिदेशक, लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, चंडीगढ़ का कार्यालय/महानिदेशक, वी०वी० राष्ट्रीय श्रम संसाधन, नोएडा/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

संचिका संख्या-1/COSS 10-01/2020, श्र०सं०- 15 पटना, दिनांक 05/02/26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव